

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 852 सन 2024

अनवान :-

1. सुशील कुमार जोशी पुत्र मालाराम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री भरत बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 30/8/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीएक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक 16/2 की 0.0260हैक गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/2 की 0.051हैक कुल 1.0630हैक भूमि स्थित है।

रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक 16/2 की 0.0260हैक गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,अनकमाण्ड 19/2 की 0.051हैक कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौका व सिचाई विभाग जल संसाधन खण्ड रावतसर के रिकार्ड में प0न0 230/367 (7) के किला न0 16/1की 0.2270, 17 की 0.2530हैक 18/0.2530हैक , 19/2 की 0.051हैक भूमि कमाण्ड दर्ज है।।


वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है एव सिचाई विभाग के रिकार्ड एव मौका अनुसार भूमि कमाण्ड है सिचाई विभाग से पानी लगता है राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वाद भूमि को सिचाई विभाग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कमाण्ड दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड के स्थान पर सिचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार कमाण्ड दर्ज कर देवे को तो इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387(7) के किला न0 16/1 की 0.227हैक , 17 की 0.2530हैक व 18 की 0.253हैक भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है के स्थान पर कमाण्ड दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से परोकार राज उपस्थित आकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक 16/2 की 0.0260हैक गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,अनकमाण्ड 19/2 की 0.051हैक कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कमाण्ड के सम्बध में सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जानी उचित है नहरी किस्म के सम्बध में सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जावे परोकार राज के कथनानुसार सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली गई

अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक 14 आरडब्ल्यूडी की सीएडी स्कीम 1977 के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 230/387 के किला न0 16 ,17 ,18 ,19 कमाण्ड दर्ज है रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक् 16/2 की 0.0260हैक् गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/2 की 0.051हैक् कुल 1.0630हैक् भूमि स्थित है ।

रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक् 16/2 की 0.0260हैक् गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,अनकमाण्ड 19/2 की 0.051हैक् कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौका व सिचाई विभाग जल संसाधन खण्ड रावतसर के रिकार्ड में प0न0 230/367 (7) के किला न0 16/1की 0.2270, 17 की 0.2530हैक् 18/0.2530हैक् , 19/2 की 0.051हैक् भूमि कमाण्ड दर्ज है।।

वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है एव सिचाई विभाग के रिकार्ड एव मौका अनुसार भूमि कमाण्ड है सिचाई विभाग से पानी लगता है राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वाद भूमि को सिचाई विभाग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कमाण्ड दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की मौके पर भूमि नहरी है या नहीं सिचाई विभाग के द्वारा ही तय किया जाता है सिचाई विभाग के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए नहरी की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387 (7) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.2270हैक् 16/2 की 0.0260हैक् गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 ,अनकमाण्ड 19/2 की 0.051हैक् कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादी का कथन है कि उसकी भूमि मौके पर नहरी है नहर का पानी लगता है सिचाई विभाग की बारी बनी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक 14 आरडब्ल्यूडी की सीएडी स्कीम 1977 के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 230/387 के किला न0 16 ,17 ,18 ,19 कमाण्ड दर्ज है सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वादी की भूमि नहरी/कमाण्ड है वादी सिचाई विभाग की रिपोर्ट में जितनी भूमि नहरी दर्ज है उतनी भूमि नहरी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है शेष भूमि यथावत रहेगी

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि मौके पर नहरी है राजस्व रिकार्ड में बारानी से नहरी दर्ज करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है वादी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387(7) के किला न0 16/1 की 0.227हैक् , 17 की 0.2530हैक् व 18 की 0.253हैक् भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है के स्थान पर कमाण्ड/नहरी संशोधन दर्ज किया जाता है वादी की भूमि बारानी से नहरी दर्ज करने पर यदि अन्तर राशि देय है तो अन्तर राशि की गणना तहसीलदार अपने स्तर से करेगे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

ॐ
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -737/2023

अनवान :-

1. सुशील कुमार जोशी पुत्र मालाराम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 852 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 66/5 के प0न0 230/387(7) के किला न0 16/1 की 0.227हैक् , 17 की 0.2530हैक् व 18 की 0.253हैक् भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है के स्थान पर कमाण्ड/नहरी संशोधन दर्ज किया जाता है वादी की भूमि बारानी से नहरी दर्ज करने पर यदि अन्तर राशि देय है तो अन्तर राशि की गणना तहसीलदार अपने स्तर से करेगे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...30/8/2024...को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर